निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

"सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 12/03/2010 का कार्यवाही विवरण"

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अधीन कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 12/03/10 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गई। उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जिन सहायक लेखाधिकारियों द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया उनको कारण बताओ नोटिस वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) द्वारा जारी किया जायेगा। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :–

क्र. सं.	बिन्दू जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1.	निर्धारित प्रपत्र 1 से 8 की सूचना व व्यय मानचित्र, व भुगतान बजट प्रावधान बाबत	गत कई बैठकों में दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त सहायक लेखाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया कि माह मार्च, 2010 तक की सूचना समय पर प्रस्तुत करने/प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था कर ली जावे तथा माह अप्रेल 2010 से उक्त सूचना निर्धारित प्रपत्रों में निर्धारित समय पर संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं तत्पश्चात् मुख्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। सूचना प्रस्तुत करने में किसी तरह के विलम्ब पर सम्बन्धित लेखाकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होंगी।	समस्त संयुक्त निदशेक एवं सहायक लेखाधिकारी जोन व समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं सहायक लेखाधिकारी कार्यालय।
2.	अनुपयोगी/बेसी वाहनों एवं सामानों के सर्वे एवं निस्तारण संबंधी सूचना बाबत	माह फरवरी में जयपुर जोन द्वारा नाकारा वाहनों के निस्तारण की दिशा में कोई प्रगति प्राप्त नहीं की गई है। जोन में अभी भी 4 सर्वेशुदा वाहन नाकारा घोषित किए जाने शेष है। इसी प्रकार 2 वाहनों को सर्वे शेष है। 3 नाकारा वाहनों जो अनुपयोगी घोषित किये जा चुके है का निस्तारण शेष है।	सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक जोन जयपुर, सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी, मु.चि. एवं स्वा.अ., से समन्वय कर कार्यवाही करायेंगे।
		अजमेर जोन में कुल 57 ऑफ रोड़ वाहनों के अतिरिक्त 3 नये ऑफ रोड़ वाहन चिन्हित हुए है। इस प्रकार कुल 60 ऑफ रोड़ वाहनों में से 3 वाहनों का सर्वे बाकी है। तथा 7 सर्वेशुदा वाहनों को नाकारा घोषित किया जाना शेष है। शेष 50 वाहनों का निस्तारण किया जा चुका है।	स.ले., एवं संयुक्त निदेशक जोन अजमेर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		भरतपुर जोन में कुल 53 ऑफ रोड़ वाहनों में से 45 वाहनों का सर्वे कराया जाकर 22 वाहन नाकारा घोषित किये जा चुके हैं तथा इनमे से 13 वाहनों का निस्तारण किया जा चुका है तथा 9 वाहनों का निस्तारण किया जाना शेष है। इस प्रकार अभी भी 8 वाहन सर्वे हेतु बकाया है तथा 23 सर्वेशुदा वाहन नाकारा घोषित किया जाना शेष है।	स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जोन भरतपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		जोधपुर जोन में कुल 106 ऑफ रोड़ वाहनों में से अब तक 40 वाहनों का निस्तारण किया गया है तथा 4 नाकारा घोषित वाहनों का निस्तारण शेष है। मात्र 30 वाहनों का निस्तारण किया गया है। वित्तीय सलाहकार द्वारा इस स्थिति को खेदजनक बताते हुए सहायक लेखाधिकारी, जोन जोधपुर को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर समस्त 66 बकाया वाहनों का दिनांक 31/03/2010 तक निस्तारण की कार्यवाही करावें। कुल 66 बकाया वाहनों में से 43 वाहनों का सर्वे बकाया है तथा 19 सर्वेशुदा वाहनों को नाकारा घोषित किया जाना शेष हैं। इसी प्रकार 4 नाकारा घोषित वाहनों की नीलामी किया जाना शेष है।	सहा. लेखा. कार्या. मु. चि.एवं स्व.अधि. जोधपुर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		बीकानेर जोन में कुल 44 ऑफ रोड़ वाहनों में से 43 का सर्वे हो चुका है तथा 1 वाहन सर्वे हेतु बकाया है। सर्वे शुदा 43 वाहनों में से 30 वाहनों को नाकारा घोषित किया जा चुका है परन्तु उक्त 30 वाहनों में से अब तक मात्र 20	सहा. लेखा. कार्यालय मु.चि. एवं. स्वा. अधि. एवं संयुक्त निदेशक जोन बीकानेर संबंधित

		वाहन ही निस्तारित किये गये है तथा शेष 10 का निस्तारण किया जाना बाकी है। इसी प्रकार सर्वे शुदा 43 वाहनों में से 13 वाहनों को अनुपयोगी घोषित किया जाना शेष है।	मु.चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		उदयपुर जोन में वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त प्रगति अत्याधिक निराशाजनक है। कुल ऑफ रोड़ 79 वाहनों में से मात्र 55 वाहनों का सर्वे हुआ है तथा उक्त 55 वाहनों में से मात्र 31 वाहन अनुपयोगी घोषित किये गये हैं। उक्त अनुपयोगी घोषित वाहनों में से भी मात्र 18 वाहन का निस्तारण किया गया है। 24 वाहनों का सर्वे बकाया है तथा सर्वे शुदा 24 वाहनों को नाकारा घोषित किया जाना शेष है।	स.ले., कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		कोटा जोन के सहायक लेखाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। प्राप्त सूचना अनुसार कुल 46 वाहन ऑफ रोड़ है। जिनका सर्वे हो चुका है। उक्त 46 वाहनों में से 37 वाहन अनुपयोगी घोषित किये जाकर इनमें से 24 वाहन निस्तारित किये जा चुके है तथा शेष 13 का निस्तारण किया जाना है। 9 वाहन अनुपयोगी घोषित किये जाने शेष है।	सहायक लेखाधिकारी कार्या. संयुक्त निदेशक जोन कोटा संबंधित मु. चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		वित्तीय सलाहकार द्वारा समस्त सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो वाहन नाकारा घोषित किये जा चुके है उन वाहनों का नियमानुसार निलामी द्वारा 31.03.2010 तक निस्तारण सुनिश्चित किया जावें। इसी प्रकार जो वाहन सर्वे हेतु बकाया है अथवा सर्वे उपरान्त नाकारा घोषित किया जाना शेष है उनके सम्बन्ध में समस्त वांछित कार्यवाही पूर्ण की जाकर उनकी नीलामी सम्बन्धी सूचनाएं 31.03.2010 तक जारी कर दी जावे। उक्त प्रकरणों में नियमानुसार समय दिया जाकर निमाली की तारीखे माह अप्रेल 2010 में रखी जा सकती है। नाकारा वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार द्वारा सभी सहायक लेखाधिकारीयों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार द्वारा नाकारा वाहनों/ स्टोर्स के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों में शिथिलीकरण दिनांक 31/03/2010 तक ही दिया हुआ है। अतः समस्त सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व है कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर चालू वित्तीय वर्ष में समस्त बकाया नाकारा वाहनों एवं नाकारा/सरप्लस स्टोर्स का निस्तारण करावें। इस प्रकार निस्तारण से न केवल कार्यालय में उपयोगी स्थान उपलब्ध होगा अपितु कार्यालय का वातावरण भी सुधरेगा एवं राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।	समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी
		नाकारा/अप्रचलित/सरप्लस स्टोर्स के सम्बन्ध में पूर्व बैठकों के निर्देशों के क्रम में पुनः समस्त सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के स्टोर्स के सम्बन्ध में कार्यालयवार समीक्षा कर प्रगति प्राप्त करें। संयुक्त निदेशक कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के स्टोर्स के सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान दे, इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी उनके अधीनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाकारा सामान के निस्तारण पर विशेष ध्यान देवें। आगामी बैठक में समस्त सहायक लेखाधिकारी उनके अधीनस्थ कार्यालयों की पूर्ण सूची उपलब्ध करायेंगे जिसमें उन कार्यालयों का भी विवरण अंकित होगा जिनमें अभी तक इस प्रकार स्टोर्स की निलामी की कार्यवाही नहीं की गई है। नाकारा वाहनों एवं स्टोर्स के	समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी

		सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्धित प्राधिकारियों से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे कि उनके कार्यालय में कोई भी वाहन ऑफ रोड़ अथवा uneconomical नहीं है तथा इसी प्रकार नाकारा/सरप्लस/अप्रचलित स्टोर्स आईटम्स नहीं है।	
3.	भौतिक सत्यापन पत्र प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	गत कई बैठकों में निरन्तर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2008–09 का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जोन उदयपुर व जयपुर का प्राप्त होना बकाया है। वित्तीय सलाहकार ने इस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैये पर असंतोष प्रकट करते हुए अब दिनांक 31/03/2010 उक्त कार्यालयों द्वारा प्रमाण–पत्र भिजवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।	उदयपुर व जयपुर तथा सहा. लेखाधिकारी जोन कार्या. संयुक्त निदेशक
4.	स्टोर एवं स्टॉक संबंधी प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	गत कई बैठकों में निरन्तर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2008–09 का स्टोर एवं स्टॉक सम्बन्धी प्रमाण पत्र जोन जयपुर का प्राप्त होना बकाया है। वित्तीय सलाहकार ने इस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैये पर असंतोष प्रकट करते हुए अब दिनांक 31/03/2010 उक्त कार्यालय द्वारा प्रमाण–पत्र भिजवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर–प्रथम कार्या. मु. चि. एवं स्व. अधिकारी एवं, सहायक लेखाधिकारी कार्या. संयुक्त निदेशक जोन जयपुर
5.	चोरी गबन प्रकरण	गत बैठकों में दिए गये निर्देशों के क्रम में पुनः समस्त सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चोरी गबन के मामलों में शीघ्र वसूली की कार्यवाही की जावे जिन प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा निर्णय दे दिया गया है अथवा विभागीय कार्यवाही निर्णित हो चुकी है तो ऐसे प्रकरणों में निर्णयानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावें। जो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है परन्तु कोर्ट द्वारा रिकवरी पर किसी तरह का स्टे नहीं दिया गया है उन प्रकरणों में तुरन्त वसूली की कार्यवाही की जावें। चोरी गबन के मामलों में प्रकरण की वस्तु स्थिति समय–समय पर निदेशालय को पूर्ण सूचनाएं एवं निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित की जावें।	समस्त स.ले. कार्यालय मु.चि. एवं स्वा.अधि., एवं समस्त स.ले, संयुक्त निदेशक (जोन)
6.	महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेप, निदेशक, निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं विशेष जांच प्रतिवेदन विभागीय आन्तरिक जांच प्रतिवेदन एवं विशेष जांच प्रतिवेदन	विभाग में विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण मामलों की अनुपालना हेतु एक विशेष अभियान दिनांक 15 फरवरी, 2010 से 10 मार्च, 2010 तक चलाया जाकर समस्त लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि दिनांक 12.03.10 को आयोजित होने वाली बैठक में समस्त अनुपालनाएं वित्तीय सलाहकार को प्रस्तुत करेंगे परन्तु विशेष अभियान के दौरान अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्राप्त प्रगति अपेक्षानुसार नहीं रही है। उक्त स्थिति पर वित्तीय सलाहकार द्वारा राय प्रकट की गई कि इसे ओर सुधारने की आवश्यकता है तथा निर्देशित किया गया कि अभियान के दौरान अपेक्षानुसार अनुपालनाएं प्राप्त नहीं करने अथवा कार्यक्रम में रूचि नहीं लेने वाले अधिकारियों को चिन्हित किया जावेगा यदि पुनः अप्रेल में चलाये जाने वाले अभियान में प्रगति संतोषजनक नहीं रहती है तो उनके विरूद्ध राज्य कार्य में उपेक्षा हेतु समुचित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाये।	समस्त स.ले. कार्यालय मु.चि. एवं स्वा.अधि., एवं समस्त स.ले, संयुक्त निदेशक (जोन)
9.	बकाया पेन्शन प्रकरण	वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रपत्र 1, 4 एवं 8 की सूचनाएं समय पर प्रस्तुत की जावे तथा समस्त बकाया पेन्शन प्रकरणों की समीक्षा की जाकर उनका यथाशीघ्र निस्तारण कराया जावें। यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त सूचना हार्ड कॉपी के साथ सीडी पर भी लायी जावें।	अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्या. मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक जोन।

10.	बजट	1. जिन आहरण वितरण अधिकारियों के माह फरवरी 2010 तक के व्यय विवरण प्रपत्र तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्तिम आधिक्य/बचत विवरण प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए है उनके नाम का उल्लेख कर निर्देशित किया कि 2 या 3 दिवस में व्यय विवरण प्रपत्र तथा अन्तिम आधिक्य/बचत विवरण प्रपत्र भिजवाना सुनिश्चित करें। 2. बजट आवंटन पत्रों के माध्यम से आवंटित समस्त राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2009–10 में ही कियाँ जाना सुनिश्चित करें। 3. 9 जिलों के आई.सी.यू. यूनिट, 18 जिलों में ट्रोमा यूनिट, 18 जिलों में पुनर्वास केन्द्र एवं 24 जिला मुख्यालयों पर बर्न यूनिट हेतु METP के मद में PMO's को बजट आवंटन किया गया है सभी Zones के सहायक लेखाधिकारियों को अपने–अपने जोन के अधीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को उनको आवंटित राशि के उपयोग करने बाबत सुनिचिश्तता करें तथा मोनिटरिंग करें। 4. किसी भी बजट मद में आवंटित बजट राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो मार्च के तीसरे सप्ताह में अवश्य ही राशि समर्पित कर दी जावे। समर्पित करने का पत्र फैक्स से तथा डाक से भी भिजवायें। श्री जी.एल. शर्मा, वरि. लेखा. (बजट) मो.न. 9829214838 श्री एल.एन गुप्ता, सहा. लेखा. (बजट)मो.न. 9314546519 5. भिवाड़ी, तिजारा एवं हिण्डौन की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शैय्याएं वृद्धि हेतु आवश्यक बजट आवंटन किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर एवं करौली के सहायक लेखाधिकारी इस राशि का उपयोगी सुनिश्चित करें। 6. वर्ष 2009–10 के अन्त में 31 मार्च, 2010 तक सभी बजट शीर्ष के उप मदों में भुगतान करने बाद 31 मार्च, 2010 को रही बकाया देयताओं (Pending Liabilities) की सूचना सभी कार्यालयों की आगामी बैठक में अवश्य लावें। यह सूचना जिले के सभी कार्यालयों, चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों को प्रेषित की जानी है।	समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्या. मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक जोन, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
11.	अन्य बिन्दू	1. समस्त सहायक लेखाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया कि ऐसे कार्यालय जिनसे संबंधित पांच या अधिक प्रतिवेदन जिनकी प्रथम अनुपालना बकाया है के सम्बन्ध में संबंधित सहायक लेखाधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। इसी प्रकार अधीनस्थ कार्यालय विशेष के पांच या अधिक प्रतिवेदन जिनकी प्रथम अनुपालना बकाया है के लिए सम्बन्धित सहायक लेखधिकारी पर्यवेक्षणीय उदासीनता हेतु उत्तरदायी होंगे। वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे कार्यालयों की सूची बनाई जाकर सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त किये जावें। 2. अंकेक्षण मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समान प्रकृति के पैराज की निरन्तर पुनर्रावृति हो रही है। इस तरह के बकाया पैराज के सम्बन्ध में समीक्षा की जाकर ठोस अनुपालना प्रस्तुत की जावे एवं अनियमितताओं की पुनर्रावृति रोके जाने की समुचित व्यवस्था की जावें। 3. माह अप्रेल, 2010 में जोन वाईज बैठकों का आयोजन	

		किया जायेगा जिसमें सहायक लेखाधिकारी सम्बन्धित जोन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित लेखाकार उनके कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित बकाया अंकेक्षण मामलों, बजट के उपयोग एवं मांग, वाहनों एवं स्टोर्स के निस्तारण सम्बन्धी प्रगति इत्यादि की पूर्ण सूचना के साथ उपस्थित होंगे। इन बैठकों हेतु कार्यक्रम अलग से जारी किया जा रहा है। 4. यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में ऑडिट आक्षेप सत्यापन की शर्त पर निरस्त कर दिये गये है परन्तु आगामी अंकेक्षण होने में लग रहे समय के कारण अभी तक बकाया की सूची में चल रहे हैं। इस परिपेक्ष्य में उक्त सत्यापन की शर्त पर निरस्त किये गये आक्षेपों सम्बन्धी कार्यवाही का सम्बन्धित कार्यालयों में सत्यापन कर उन्हें निरस्त किये जाने की अभिशंषा किये जाने हेतु निम्नानुसार सहायक लेखाधिकारियों को अधिकृत किये जाने पर विचार किया गया। (अ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय – सम्बन्धित जोन कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी। (ब) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लेप्रोसी, टी.वी., मलेरिया, औषधि नियंत्रक, सार्वजनिक विश्लेषक – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित लेखाधिकारी। इस सम्बन्ध में समुचित आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।	

आगामी मासिक बैठकें जोनवार आयोजित की जायेगी जिसका कार्यक्रम अलग से जारी किया जा रहा है। बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

(हरीश कुमार [illegible])
वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
फोन नं. 0141–2221965, 9928151932

क्रमांक :लेखा/बैठक/09/249 दिनांक : 31.3.2010

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित), मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आर.एच.एस.डी.पी./मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आई.ई.सी. मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, मुख्यालय।
8. डॉ. एस. के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थिति वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ।
11. सहायक लेखाधिकारी, बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार, मुख्यालय, जयपुर।
12. प्रभारी, सर्वर, कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब–साइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक

निदेशालय में आयोजित – मासिक मीटिंग 12/03/2010 को उपस्थित सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार

क्र.सं.	नाम, पद एवं मोबाइल नं.	दूरभाष नं.			कार्यालय का नाम	हस्ताक्षर
		मोबाइल नं.	कार्यालय	आवास		
1)	नवरंग लाल सिंगोदिया	9828549974		2705625	संयुक्त निदेशक, चि. एवं. स्वा. जोन–जयपुर	
2)					संयुक्त निदेशक, अजमेर	– Allowed.
3)	योगेन्द्र कुमार गुप्ता AAO	9414320526	225152 225676	—	संयुक्त निदेशक, भरतपुर	1213
4)	~~सुभाष चन्द्र गौतम AAO~~	~~9785927878~~	~~220733~~	—	संयुक्त निदेशक, बीकानेर अनुपस्थित	AAO 1213
5)	शिवप्रकाश [illegible]	94145-78062	2721438	—	संयुक्त निदेशक, जोधपुर	
6)					संयुक्त निदेशक, कोटा	
7)					संयुक्त निदेशक, उदयपुर	– Allowed
8)	उदयभान जैन	9414306656	01412605858		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जयपुर–I	
9)	रवि प्रकाश शर्मा AAO	8094017006	0141 2603426		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जयपुर–II	
10)	बाबू लाल सैनी	9352205401	0144-2340145		मु. चि. एवं स्वा. अधि, अलवर	
11)	राजेन्द्र प्रसाद जैन AAO	9414273477	01427-50104		मु. चि. एवं स्वा. अधि, दौसा	
12)	[illegible]	9461940308	01572 220446		मु. चि. एवं स्वा. अधि, सीकर	
13)	[illegible]	9413711026	01592 232415		मु. चि. एवं स्वा. अधि, झुन्झुनू	
14)	[illegible]	98[illegible]	[illegible] 0262111		मु. चि. एवं स्वा. अधि, अजमेर	
15)	भंवरलाल मिसल AAO	9252804669	2440814		मु. चि. एवं स्वा. अधि, नागौर	
16)	R. C. Mandowara	9214631610	232646		मु. चि. एवं स्वा. अधि, भीलवाडा	
17)	ताराचन्द अग्रवाल AAO	9414868911	01432-244099	—	मु. चि. एवं स्वा. अधि, टोंक	
18)	दीनदयाल गुप्ता AAO	9414714464	05644 222236	05644 224892	मु. चि. एवं स्वा. अधि, भरतपुर	
19)	महेश चन्द्र गुप्ता AAO	9887453489	07464220190	—	मु. चि. एवं स्वा. अधि, करौली	
20)	सुभाष गौतम AAO	9785927878	220733	—	मु. चि. एवं स्वा. अधि, धौलपुर	
21)	विमलेश अग्रवाल	9413023916	235011		मु. चि. एवं स्वा. अधि, सवाईमाधोपुर	

क्र.सं.	नाम, पद एवं मोबाइल नं.		दूरभाष नं.		कार्यालय का नाम	हस्ताक्षर
		मोबाइल नं.	कार्यालय	आवास		
22)	[illegible]	9829610028	9829		मु. चि. एवं स्वा. अधि, बीकानेर	
23)	कमल कुमार आत्रेय Jr.Acctt.	9414465639	222038		मु. चि. एवं स्वा. अधि, रतनगढ़ (चुरू)	
24)	वेदमित्र कुक्कड़ AAO	9828569622	2448071		मु. चि. एवं स्वा. अधि, श्रीगंगानगर	
25)	मनोहर लाल जोशी AAO	9460808665	261190	—	मु. चि. एवं स्वा. अधि, हनुमानगढ़	
26)					मु. चि. एवं स्वा. अधि, जोधपुर	
27)					मु. चि. एवं स्वा. अधि, जैसलमेर	
28)	मांगीलाल L.D.C.	9680477943	230462		मु. चि. एवं स्वा. अधि, बाडमेर	
29)	धनराज शर्मा AAO	9413143160			मु. चि. एवं स्वा. अधि, पाली	
30)	नरदाराम ... AAO	9460016966	02972-222259	0	मु. चि. एवं स्वा. अधि, सिरोही	
31)	कानाराम प्रजापत AAO	9799493555	02973-222246		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जालौर	
32)	N K Barwa	9414991011			मु. चि. एवं स्वा. अधि, कोटा	
33)	मनोज कुमार जैन	9414066632	230451	230332	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बांरा	
34)	सुरेश कुमार पाटीदार AAO	9414406338	0747-2442819	0747-2444611	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बूंदी	
35)					मु. चि. एवं स्वा. अधि, झालावाड़	
36)	जयशंकर शर्मा Jr. Acctt.	9413174655	0294-2415538		मु. चि. एवं स्वा. अधि, उदयपुर	
37)	जगदीश भावसार AAO	9414807100	251331	–	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बांसवाड़ा	
38)	नन्दकिशोर भट्ट L.D.C. (AAO: प्रतिनिधि)	9413117955	232486	–	मु. चि. एवं स्वा. अधि, डूंगरपुर	AAO ... मलेरिया से पीड़ित होने से ... में उपस्थित होने में असमर्थ है
39)					मु. चि. एवं स्वा. अधि, चित्तौडगढ़	
40)	अशोक कुमार कोठारी UDC	9460712051	222564	–	मु. चि. एवं स्वा. अधि, प्रतापगढ़	
41)	M. B. Tamoli AAO	9460612243	02952-221716	—	मु. चि. एवं स्वा. अधि, राजसमन्द	

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर